भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
**लोक सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. *254**
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

## महिला सरपंचों का सशक्तीकरण

†***254. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**
**सुश्री कंगना रनौत:**

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में विशेषकर खानदेश और जलगांव में महिला सरपंचों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देने के महत्त्व के बारे में स्थानीय शासन निकायों और समुदायों को जागरूक करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) महिला सरपंचों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए स्थानीय प्रशासनिक निकायों और समुदायों में जागरूकता पैदा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) या महिला अधिकार संगठनों के साथ मिलकर देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों में महिला नेतृत्व को सशक्त करने वाले कार्यक्रम बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित किसी भी राज्य सरकार ने प्रशासनिक सहायता के रूप में महिला सरपंचों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन या आरक्षित प्रशासनिक सहायता जैसे कोई स्वतंत्र उपाय/पहल की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर खानदेश और जलगांव में महिला सरपंचों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम लागू करने की कोई योजना है ताकि उनके शासन और नेतृत्व कौशल को बढ़ाया जा सके?

**उत्तर**

**पंचायती राज मंत्री**
**(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)**

**(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**'महिला सरपंचों का सशक्तीकरण' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. *254 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।**

**(क) और (ख)** महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र राज्य में स्थानीय शासन निकायों और समुदायों को संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) नव निर्वाचित सरपंचों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण तथा दो वर्ष की अवधि के पश्चात पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे द्वारा किया गया है।

(ii) राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए व्यक्तित्व विकास, संचार कौशल, नेतृत्व कौशल विकास जैसे सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण के लिए क्रांतिज्योति महिला प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है। प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) राज्य स्तर पर यशदा द्वारा तथा तालुका स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से आयोजित किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के लिए मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण यशदा द्वारा दिया गया है तथा जिला एवं तालुका स्तर पर प्रशिक्षण मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया गया है।

(iv) आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 27 ब्लॉकों की महिला सरपंचों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, खानदेश के नंदुरबार जिले की महिला सरपंचों को प्रशिक्षण यशदा द्वारा दिया जा रहा है।

(v) राज्य सरकार ने महिला सरपंचों के सशक्तिकरण से संबंधित पहलों जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित "पंचायत से संसद" में भाग लिया है।

(vi) ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत एसएचजी-पीआरआई अभिसरण प्रशिक्षण के तहत सरपंचों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों और सचिवों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(vii) पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में की गई पहल के तहत, महिला और बाल-हितैषी ग्राम पंचायत (प्रत्येक जिले से एक ग्राम पंचायत) के लिए यशदा द्वारा राज्य स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 34 ग्राम पंचायतों में विशेष महिला बैठकें आयोजित की गईं।

जहां तक पंचायती राज मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानीय शासन निकायों और समुदायों को संवेदनशील और जागरूक बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और

समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों/ फील्ड विजिट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशनों आदि के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू किया है। इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला सरपंचों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) को प्रशिक्षण देकर नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करना है ताकि पंचायतों को प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना में निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि भी शामिल हैं, को सामान्य प्रशिक्षण के तहत प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है जिसमें भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत परिकल्पित 29 विषयों को शामिल करते हुए पंचायती राज संस्थाओं का कामकाज, पुनश्चर्या प्रशिक्षण, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर विषयगत प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षण शामिल हैं।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान संशोधित आरजीएसए के तहत, प्रशिक्षित महिला सरपंचों सहित, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या निम्नानुसार है:

| **वर्ष** | **संशोधित आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित महिला सरपंचों सहित महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या** |
|---|---|
| 2022-23 | 973,401 |
| 2023-24 | 808,032 |
| 2024-25 | 534910 |

सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के अंतर्गत, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रासंगिक नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक अनूठा प्रशिक्षण माड्यूल विकसित किया गया है, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर, जागरूक और कुशल नेता बनाया जा सके।

आरजीएसए के तहत प्रशिक्षण के अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करने और ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन में सार्वजनिक सेवा केंद्र का सह-स्थापन जैसे पंचायत अवसंरचना का निर्माण करने के लिए भी सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय एक्सपोजर दौरा, प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री तैयार करने आदि के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, नेतृत्व/प्रबंधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट संस्थानों के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की गई है।

मंत्रालय ने ग्राम सभा की बैठकों से पहले वार्ड सभा और महिला सभा की अलग-अलग बैठकें आयोजित करने के लिए राज्यों को परामर्शिकाएं भी जारी किया है। ग्राम सभा और पंचायत बैठकों में

महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी बढ़ाने, महिला-केंद्रित गतिविधियों के लिए पंचायत निधि के आवंटन हेतु भी राज्यों को परामर्शिकाएं जारी की गई हैं।

पंचायती राज मंत्रालय बहुआयामी मीडिया और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) रणनीति के माध्यम से महिला सरपंचों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जागरूक करने और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के नेतृत्व को उजागर करते हुए प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर व्यापक कवरेज सुनिश्चित किया जाता है। महिला सरपंचों के सर्वोत्तम कार्यों और उपलब्धियों पर ऑडियो-विजुअल फिल्में जमीनी स्तर पर नेतृत्व को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रसारित की जाती हैं।

**(ग)** मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता हेतु व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया (टीआरआई) को सहभागी बनाया है ताकि प्रभावी सुशासन प्रदायगी के लिए उनके नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल को और मजबूत किया जा सके |

इसके अलावा, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की 'थीम 9-महिला हितैषी ग्राम पंचायत' में चयनित ग्राम पंचायतों को संतृप्त करते हुए उनके कायाकल्प के लिए मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन ग्राम पंचायतों को आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों (एमडब्ल्यूएफजीपी) में परिवर्तित करने के लिए प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत को चिन्हित कर उनका चयन किया है।

मंत्रालय ने प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने और मास्टर प्रशिक्षकों के संवर्ग को प्रशिक्षित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर के रूप में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (भूतपूर्व यूनाइटेड नेशंस फण्ड फॉर पॉपुलेशन एक्टीविटीज-यूएनएफपीए) को भी सहभागी बनाया है ताकि आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत विकसित करने की दिशा में महिलाओं के अनुकूल विभिन्न विशेषताओं पर जमीनी स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और पंचायती राज पदाधिकारियों (पीआरएफ) के क्षमता निर्माण में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जा सके।

महाराष्ट्र राज्य के संबंध में, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायत की निर्वाचित महिला सदस्यों के लिए रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर फॉर डेवेलपमेंट (आरएससीडी), एक गैर-सरकारी संगठन, की सहायता से क्रांतिज्योति प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है।

**(घ)** मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रशासनिक संबल के रूप में महिला सरपंचों को सशक्त बनाने के लिए, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों ने आरक्षित प्रशासनिक सहायता अर्थात पंचायत सचिव के पद के लिए महिला आरक्षण, का प्रावधान किया है।

महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में, पंचायत सचिव के पद सहित सभी पदों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य ने यह भी बताया है कि महिला सरपंचों को उनके काम में सक्षम बनाने

के लिए विस्तार अधिकारी (पंचायत), प्रखंड विकास अधिकारी और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

**(ङ)** महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान खानदेश और जलगांव सहित महाराष्ट्र की महिला सरपंचों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है:

| **क्र. सं.** | **प्रशिक्षण का नाम** | **प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1. | ब्लॉक स्तर पर क्रांतिज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत) | 15000 |
| 2. | यशदा द्वारा 27 आकांक्षी ब्लॉकों में ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों को प्रशिक्षण | 945 |
| 3. | ग्राम पंचायतों की महिला सरपंचों के लिए प्रशिक्षण | 3400 |
| 4. | वर्चुअल प्रशिक्षण- क्रांतिज्योति के अंतर्गत निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत) | 17550 |
| 5. | यशदा द्वारा सरपंच, ग्राम स्तरीय एसएचजी फेडरेशन (ग्रामसंघ) के अध्यक्ष और सचिव तथा ग्रामसेवक के लिए एसएचजी-पीआरआई अभिसरण | 2808 |
| 6. | ब्लॉक स्तर पर सरपंच, अध्यक्ष और सचिव एसएचजी के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण | 35100 |

*****